यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सलीम खान, सहायक पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 05.02.2021 से 12.02.2021 तक श्री डी.के. पिपलानी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार मौर्य लेखापरीक्षक श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.06.2019 से 17.06.2019 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: वनों का संरक्षण अनुरक्षण आदि- पौड़ी, पैठाणी, पूर्वी अमेली, पश्चिमी अमेली, दीवा एवं कोटद्वार।

(ii) (अ) **<u>राजस्व का विवरण:</u>** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	<u>अर्जित राजस्व (रू लाख में)</u>
2017-18	395.30
2018-19	297.89
2019-20	221.22

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	स्थापना	**गैरस्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2017-18	-	-	1004.19	1004.19	538.24	538.24	-	-	-
2018-19	-	-	837.32	837.32	604.41	604.41	-	-	-
2019-20	-	-	773.38	773.38	762.70	762.70	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ हजार में)

वर्ष	**स्थापना योजना का नाम**	**केन्द्र पोषित/राज्य पोषित**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2019-20	इन्टेसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	-	948.00	948.00	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 09/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 08/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन --

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹10.59 लाख।

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 उत्तराखण्ड वन विकास निगम से विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रायल्टी न लिया जाना ₹ 88.75 लाख।

प्रस्तर- 02 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त किया जाना ₹ 4.80 करोड़।

प्रस्तर-03 लीज रेंट वसूल न किया जाना ₹11,980/-

प्रस्तर-04 पथ वृक्षारोपण/ रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि ` 1.05 करोड़ का उपयोग न किया जाना ।

प्रस्तर-05 पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी पंचायती वनों से प्राप्त लीसे की रॉयल्टी का अवरुद्ध रहना ` 1.00 करोड़ ।

प्रस्तर-06 बिना अनुबंध के आउट सोर्स एजन्सी को `38.34 लाख का अनियमित भुगतान।

प्रस्तर-07 प्रभाग की उदासीनता के कारण कार्मिको को अंशदान की कटौती विलम्ब से होने के कारण ₹24.15 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।

प्रस्तर-08 लेंटाना उन्मूलन पर निरर्थक व्यय ₹11.44 लाख।

प्रस्तर-09 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना ₹2.45 लाख।

प्रस्तर-10 अतिक्रमित भूमि 5.6801 हेक्टेयर को विभाग के कब्जे में न लिया जाना।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)

भाग-II (अ)
गम्भीर अनियमितताएं
शून्य
व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (ब)

STAN

भाग-2 ब

प्रस्तर-01 उत्तराखण्ड वन विकास निगम से विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रायल्टी न लिया जाना ₹ 88.75 लाख।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक विकास कार्यों से संबन्धित 44 लॉट वन विकास निगम को आवंटित की गयी थी, जिनका अनुमानित आयतन 3135.6841 घन मीटर था एवं उक्त प्रकाष्ठ हेतु देय रॉयल्टी ₹88,74,561 थी। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान तक विकास कार्यों से संबन्धित प्रकाष्ठ की रॉयल्टी वन विकास निगम पर बकाया है एवं प्रभाग द्वारा उक्त धनराशि की वसूली नहीं की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के पत्रांक नि0 3830/13-1/विकास कार्य/रॉयल्टी दिनांक 14.09.2016 के क्रम में विकास कार्यों से संबन्धित लाटों की रॉयल्टी देय नहीं होगी। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विकास कार्यों से संबन्धित आवंटित वृक्षों की रॉयल्टी का भुगतान न करने हेतु एकतरफा आदेश दिया गया है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 02 निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्त किया जाना ₹ 4.80 करोड़।

प्रभाग में उपलब्ध वन उपज, गौण वन उपज, राजस्व प्राप्ति के श्रोतों तथा अन्य समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग हेतु प्रत्येक वर्ष राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। प्रभाग का दायित्व होता है कि सम्यक प्रयास कर निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वन संरक्षक,गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड द्वारा लीसा, वन निगम के माध्यम से लकड़ी और अन्य वन उत्पादन की बिक्री से प्राप्तियाँ एवं अन्य प्राप्तियों के तहत वर्ष 2019-20 के लिये प्राप्ति का कुल लक्ष्य ₹7,01,09,638 निर्धारित किया गया था। जबकि अभिलेखों के अनुसार प्रभाग को ₹2,21,22,149 राजस्व प्राप्त हुआ है,जो कि वन संरक्षक द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹4,79,87,489 (7,01,09,638 - 2,21,22,149) कम है**(विवरण संलग्न)**। प्रभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹4.80 करोड़ का राजस्व कम प्राप्त किया गया जो कि विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उच्च स्तर से अत्यधिक राजस्व का लक्ष्य प्राप्त होने के कारण राजस्व कम प्राप्त किया गया। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व लक्ष्य का निर्धारण प्रभाग की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निर्धारित लक्ष्य ₹7.01 करोड़ के सापेक्ष प्रभाग द्वारा मात्र ₹2.21 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त किया गया है जो कि विभागीय उदासीनता का दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>संलग्नक</u>

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम प्राप्ति का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	मानक मद	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्ति	अन्तर (3-4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	0101-सरकारी अभिकरण द्वारा हटायी गयी	2978	790	2188
2.	0102-उपभोक्ताओं/खरीददारों द्वारा हटायी गयी	2978	0	2978
3.	0300-लीसा	50048136	19408505	30639631
4.	04-0401 घास व गौण वन उपज सरकारी अभिकरणों द्वारा	40	0	40
5.	0700-वन निगम के माध्यम से लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री से प्राप्ति	7082723	153067	6929656
6.	08-अन्य प्राप्तियाँ	2951	0	2951
7.	0200-जुर्माना एवं जब्तियाँ	276990	390170	(-)113180
8.	0300-प्रत्यार्पण एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि	9948383	1927424	8020959
9.	04-भवनों एवं उपकरणों का किराया	191485	156513	34972
10.	0500-आवासीय भवनों पर जलकर	883	0	883
11.	0700-पौधों की बिक्री से आय	240962	29680	211282
12.	9900-अन्य प्राप्तियाँ (गाड़ी प्रयोग आदि)	2311129	56000	2255129
योग		**70109638**	**22122149**	**47987489**

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-03 लीज रेंट वसूल न किया जाना ₹11,980/-

शासनादेश संख्या 6450/14-3-930/77 दिनांक 02.07.1979 के क्रम में शासन के पत्र संख्या 156/7-1-2005-500(826)/2002 द्वारा वन भूमि पर स्वीकृत लीजों के नवीनीकरण हेतु व्यवस्था की गयी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में लीजों से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि संलग्न विवरण अनुसार लेखापरीक्षा तिथि तक प्रभाग के अन्तर्गत 23 लीज धारक थे। इन लीज धारकों को लीज की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी। संलग्न विवरण अनुसार वर्तमान तक इन लीज धारकों से ₹11980 लीज रेंट वसूल किया जाना था। जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि लीज की धनराशि ₹11980 वसूल कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4 पथ वृक्षारोपण/ रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि ` 1.05 करोड़ का उपयोग न किया जाना ।

प्रमुख सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, देहरादून की शासनादेश संख्या 194/xxVII/आ॰प्र॰/ 2009 दिनांक 26.02.2009 के अनुसार प्रदेश के कोषागारों में डी.सी.एल में जमा धनराशि को पुनर्वेध करने का अधिकार संबन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रदान किया गया है।

गढ़वाल वन प्रभाग के वर्ष 2019-20 के वन निक्षेप प्राप्ति एवं वन निक्षेप भुगतान परिलेख माह मार्च 2020 के अवलोकन में देखा गया कि पथ वृक्षारोपण/ रिक्त पड़े स्थानों में वृक्षारोपण हेतु धनराशि ` 1,05,27,262अवशेष रखी हुई है । अभिलेखों की जांच में पाया गया कि यह धनराशि वर्ष 2006 से 2008 के मध्य की है परन्तु उपरोक्त शासनादेश का हवाला देते हुए इस धनराशि को पुनर्वेध करने का प्रस्ताव 20.06.2019 को भेजा गया जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 26.06.2019 को उक्त धनराशि पुनर्वेध करने का आदेश पारित किया । लेकिन वर्तमान तक भी इस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गयाकि चूंकि उक्त आदेश की जानकारी तत्समय नहीं थी अतः जानकारी होने पर पुनर्वैध करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी गढ़वाल को भेजा गया। धनराशि का उपयोग करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-5 पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी पंचायती वनों से प्राप्त लीसे की रॉयल्टी का अवरुद्ध रहना` 1.00 करोड़ ।

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 23 जनवरी 2001 के अनुसार वन पंचायतो को वनोत्पादों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की धनराशि वन पंचायतों को सदोपयोग हेतु दी जाए एवं इस धनराशि को वन पंचायते विभिन्न कार्यो जैसे- चारा, वनस्पति, बांस उत्पाद, रामबांस उत्पाद, जड़ी बूटी आदि कृषिकरण कार्यो हेतु प्रयुक्त कर सकती है।

गढ़वाल वन प्रभाग के वर्ष 2019-20 में वन पंचायतों के लीसा बिक्री की रॉयल्टी से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 के लीसा की रॉयल्टी भी वर्तमान तक वन पंचायतों को नहीं दी गयी थी। वर्षवार आगणित रॉयल्टी की धनराशि का विवरण निम्नवत था-

वर्ष	धनराशि (रु में)
2015	753408
2016	4804513
2017	4477681
योग	**10035602**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि रॉयल्टी निर्धारण के प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजे गए है रॉयल्टी निर्धारण होने पर वन पंचायतों को भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में उत्पादित लीसा के रायल्टी निर्धारण हेतु प्रस्ताव ही 3 वर्ष से 5 वर्ष विलम्ब से नवम्बर 2020 में उच्च स्तर को प्रेषित किये गये है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-6 बिना अनुबंध के आउट सोर्स एजन्सी को `38.34 लाख का अनियमित भुगतान।

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के अंतर्गत आउट सोर्स के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध करवाये गए थे। लेखापरीक्षा में आउट सोर्स एजन्सी से संबन्धित अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी -

1. वर्ष 2019-20 के लिए आउट सोर्स एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध की प्रति पत्रावली में नहीं थी एवं न ही प्रभाग में उपलब्ध थी ।
2. कर्मचारियों के ईपीएफ़ खाते आउट सोर्स एजन्सी के माध्यम से खुलवाए गए परन्तु प्रभागीय कार्यालय द्वारा इन ईपीएफ़ खातों के विवरण की जांच नहीं की गयी थी कि उसमे दिया गया विवरण ठीक है अथवा नहीं ।
3. वर्ष 2019-20 में धनराशि `38.34 लाख का भुगतान आउट सोर्स एजन्सी को किया गया परंतु माहवार ईपीएफ़ में भुगतान की गयी धनराशि कर्मचारियों के ईपीएफ़ खाते में जमा हुई है अथवा नहीं प्रभागीय कार्यालय द्वारा जांच नहीं की गयी ।
4. वर्ष 2019-20 में भुगतानित धनराशि ₹ 38.34 लाख के बिलो की जाँच में पाया गया कि कर्मचारियों को माहवार भुगतान एक मुश्त किया जा रहा था एवं प्रभाग में ऐसे कोई अभिलेख नहीं थे कि उक्त धनराशि में से कर्मचारियों एवं नियोक्ता के EPF/ESI मद की अलग-अलग धनराशि का आंकलन किया जा सकें।
5. आउट सोर्स एजन्सी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध करवाये जाने हेतु 7% सेवाशुल्क प्राप्त किया जा रहा था, लेकिन अभिलेखों की जांच में देखा गया कि प्रभागीय कार्यालय द्वारा स्वयं मानव शक्ति आउट सोर्स एजन्सी को नाम सहित प्रेषित की जा रही थी कि वह इन कर्मचारियों को अपने फ़र्म में पंजीकृत कर उन्हे प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध करवाये। आउट सोर्स एजन्सी द्वारा उन्ही नामित कर्मचारियों को अपने आउट सोर्स एजन्सी में पंजीकृत कर प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध करवा रही थी एवं इन कर्मचारियों के एवज में प्रत्येक माह 7% सेवा शुल्क प्रभाग द्वारा आउट सोर्स एजन्सी को प्रदान किया जा रहा था।

   लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 का अनुबंध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा उपलब्ध होने पर लेखा परीक्षा को प्रेषित किया जाएगा। ईपीएफ़ खातों की जांच नहीं कारवाई गयी है तथा यथाशीघ्र ईपीएफओ कार्यालय से इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

   अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर-07 प्रभाग की उदासीनता के कारण कार्मिकोको अंशदान की कटौती विलम्ब से होने के कारण ₹24.15 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।

उत्तराखण्ड सरकार के आदेश सितम्बर 2005 के द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सितम्बर 2005 के बाद हुई है उनके वेतन से वेतन+ग्रेड का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी की अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि से 01 माह से 33 माह विलम्ब से होने के कारण उक्त कर्मचारियों को मिलने वाले नियोक्ता अंशदान ₹24.15 लाख के लाभ से वंचित रहना पड़ा **(विवरण संलग्न)**।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कर्मचारियों के प्रान नम्बर समय से प्राप्त न हो पाने के कारण अंशदान कटौतियाँ समय से नहीं हो पायी है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

नियोक्ता द्वारा देय अंशदान धनराशि का विवरण

S.NO.	Name of Employee	Designation	Date of joining	Date of subscription	Pay+G.P	No. of Delay month	10% of Pay+GP	Total amount
1	Anil singhrawat	Range Officer	31-01-2006	Oct-06	64584	8	6458.4	51667.2
2	RakhiJuyal	Range Officer	10-08-2012	Jun-14	64584	21	6458.4	135626.4
3	UshaPuri	Range Officer	02-02-2006	Oct-06	64584	7	6458.4	45208.8
4	RashmiDhyani	Range Officer	10-11-2014	Jul-16	64584	19	6458.4	122709.6
5	Shuchi Chauhan	Range Officer	19-03-2018	Jan-19	59085	9	5908.5	53176.5
6	Shankaranand Bhatt	Range Officer	19-03-2018	Jan-19	59085	9	5908.5	53176.5
7	KapilThapliyal	Senior Clerk	08-08-2012	Sep-13	34164	12	3416.4	40996.8
8	Gulabsinghrawat	Junior Clerk	01-04-2006	Sep-06	35334	4	3533.4	14133.6
9	Mukeshchandra raj	Junior Clerk	07-03-2015	Jun-16	30420	14	3042	42588
10	Kusumlata	Junior Clerk	06-08-2014	Jan-15	31356	4	3135.6	12542.4
11	Niteshkumar	Draughtsmen	18-04-2018	Aug-20	45279	27	4527.9	122253.3
12	Jiteshkumar	Surveyor	07-12-2019	Aug-20	42705	7	4270.5	29893.5
13	Yogendra Singh Rawat	Forester	20-12-2006	Mar-08	37323	15	3732.3	55984.5
14	Ajay Singh Kandari	Forester	31-10-2007	Jan-08	37323	2	3732.3	7464.6
15	Narendra Kumar	Forester	15-03-2008	Apr-08	36270	0	3627	0
16	Rajey Singh	Forester	26-11-2008	Jun-09	35217	6	3521.7	21130.2
17	Rajendra Singh Negi	Forester	19-01-2009	Jun-09	34164	4	3416.4	13665.6
18	Satish Lal	Forester	15-03-2008	Oct-08	36270	6	3627	21762
19	Dhansinghnegi	Forester	23-01-2009	Jan-10	34164	9	3416.4	30747.6
20	Shiv singh	Forester	21-07-2007	Apr-08	35217	8	3521.7	28173.6
21	Jagmohansinghrawat	Forester	18-12-2007	Feb-08	35217	1	3521.7	3521.7
22	Anil kumar	Forester	18-03-2008	Apr-08	35217	0	3521.7	0
23	Manwarsingh	Forester	18-03-2008	Apr-08	35217	0	3521.7	0
24	Mohan kumar	Forester	18-03-2008	Apr-08	35217	0	3521.7	0
25	Dinesh lal	Forester	18-03-2008	Apr-08	35217	0	3521.7	0
26	Ram sanehi	Forester	12-01-2009	Aug-09	35217	6	3521.7	21130.2
27	Rakesh singhrawat	Forester	21-01-2009	Feb-09	34164	0	3416.4	0
28	Arvind kumar	Forester	18-03-2008	Apr-08	36270	0	3627	0
29	Santosh kumar	Forester	13-03-2008	Apr-08	35217	0	3521.7	0
30	Rajendrakumar	Forester	05-01-2009	Apr-09	35217	2	3521.7	7043.4
31	Madan singhbisht	Forest guard	16-08-2012	Jan-13	30420	4	3042	12168
32	Raghuveerlal	Forest guard	16-08-2012	Jan-13	30420	4	3042	12168
33	Jagdishnegi	Forest guard	28-07-2010	Jan-13	30420	29	3042	88218
34	Renudevi	Forest guard	28-07-2010	Aug-10	30420	0	3042	0
35	Anil negi	Forest guard	28-07-2010	Jan-13	29484	29	2948.4	85503.6
36	Kalamsingh	Forest guard	22-11-2010	Aug-11	31356	8	3135.6	25084.8
37	Anil kumar	Forest guard	30-10-2010	Aug-11	31356	9	3135.6	28220.4
38	Kamal singh	Forest guard	18-01-2011	Jun-11	31356	4	3135.6	12542.4

39	Lalitmohan	Forest guard	13-04-2011	Jan-13	31356	20	3135.6	62712
40	Mukeshsinghnegi	Forest guard	13-08-2012	Jan-13	30420	4	3042	12168
41	Dashan singhnegi	Forest guard	09-08-2012	Jan-13	30420	4	3042	12168
42	Kamal kishore	Forest guard	10-12-2012	Oct-14	30420	33	3042	100386
43	Arvind patwal	Forest guard	01-04-2016	Feb-17	28665	9	2866.5	25798.5
44	Vinod kumar	Forest guard	20-06-2019	Sep-20	26208	14	2620.8	36691.2
45	Bhagirathi devi	Forest guard	15-12-2015	Jun-16	28665	5	2866.5	14332.5
46	Anita devi	Forest guard	14-12-2015	Jun-16	28665	5	2866.5	14332.5
47	Darbansingh	Forest guard	24-05-2013	Apr-15	28665	22	2866.5	63063
48	Rajendra Singh Negi	Forest guard	06-08-2013	Oct-14	28665	13	2866.5	37264.5
49	Ashok kumar	Forest guard	26-11-2013	Aug-14	29484	8	2948.4	23587.2
50	Jitendrasingh	Forest guard	31-05-2014	Jan-15	28665	7	2866.5	20065.5
51	Pawan dev	Forest guard	09-09-2014	May-15	28665	7	2866.5	20065.5
52	Sanjay singh	Forest guard	21-11-2015	Jun-16	28665	6	2866.5	17199
53	Krishna singh	Forest guard	26-11-2015	Jun-16	28665	6	2866.5	17199
54	Shishpalsingh	Forest guard	16-11-2015	Jun-16	28665	6	2866.5	17199
55	Padmendrasingh	Forest guard	21-11-2015	Jun-16	28665	6	2866.5	17199
56	Vipinsingh	Forest guard	26-11-2015	Jun-16	28665	6	2866.5	17199
57	Jagatsingh	Forest guard	21-11-2015	Jun-16	28665	6	2866.5	17199
58	Mukeshkumar	Forest guard	20-11-2015	Jul-16	28665	7	2866.5	20065.5
59	Raghunathsingh	Forest guard	21-11-2015	Jun-16	28665	6	2866.5	17199
60	Santansingh	Forest guard	18-11-2015	Jul-16	28665	7	2866.5	20065.5
61	Rohitsingh	Forest guard	31-05-2016	Aug-18	28665	26	2866.5	74529
62	Ajaypalsingh	Forest guard	16-11-2006	Aug-07	33228	8	3322.8	26582.4
63	Geetadevi	Forest guard	21-01-2011	May-11	29484	3	2948.4	8845.2
64	Ushabutola	Forest guard	31-05-2014	Jan-15	28665	7	2866.5	20065.5
65	Naveen kumar	Forest guard	08-08-2013	Oct-14	27846	13	2784.6	36199.8
66	Preetamsingh	Forest guard	17-05-2014	Jan-15	28665	7	2866.5	20065.5
67	Vinod kumarmalasi	Forest guard	31-05-2014	Jan-15	28665	7	2866.5	20065.5
68	Harimohansingh	Forest guard	21-11-2015	Jul-16	28665	7	2866.5	20065.5
69	Sukhdevsingh	Forest guard	05-04-2013	Jul-13	28665	2	2866.5	5733
70	Kamleshrawat	Forest guard	10-04-2012	Dec-12	32292	7	3229.2	22604.4
71	Mukeshkumar	Forest guard	25-01-2006	Oct-06	34281	8	3428.1	27424.8
72	Ashok singh	Dakiya	26-10-2015	Jul-16	24453	8	2445.3	19562.4
73	Amar singh	Dakiya	04-08-2014	Jan-15	25857	4	2585.7	10342.8
74	Sanjay lal	Chowkidaar	05-09-2012	Oct-14	26676	24	2667.6	64022.4
75	Hirendrasingh	Chowkidaar	23-08-2013	May-14	25857	8	2585.7	20685.6
76	Jyotidevi	Chowkidaar	19-07-2010	Aug-11	27495	12	2749.5	32994
77	Beeradevi	Chowkidaar	19-07-2010	Aug-11	28314	12	2831.4	33976.8
78	Daulatsingh	Chowkidaar	15-10-2015	Nov-15	24453	0	2445.3	0
79	Vidyalal	Peon	13-12-2012	Nov-13	25857	10	2585.7	25857
80	Harsh singh	Dakiya	21-11-2015	Jun-16	24453	6	2445.3	14671.8
81	Sidharth Kant	Driver	01-08-2013	Oct-14	26208	13	2620.8	34070.4
82	Radhakrishankhanduri	Driver	18-04-2018	Aug-20	27846	27	2784.6	75184.2
Total								**2415208**

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-08 लेंटाना उन्मूलन पर निरर्थक व्यय ₹11.44 लाख।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का कम से कम तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते है जिनके बार-बार उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है।

प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रथम वर्ष हेतु 105 हेक्टेयर क्षेत्र पर लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया एवं ₹ 4.50 लाख व्यय किया गया। जबकि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में द्वितीय वर्ष हेतु 178 हेक्टेयर पर लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया एवं ₹6.94 लाख व्यय किया गया। किन्तु प्रथम वर्ष हेतु उक्त क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रभावित क्षेत्र के उपचार पर किए गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभावित करेगा। अतः प्रभाग द्वारा लेंटाना के कार्य को लगातार तीन वर्षों तक जारी न रखने के परिणामस्वरूप ₹11.44 लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि बजट की उपलब्धता के अनुसार ही लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया जाता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-09 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना ₹2.45 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में विभिन्न वन पंचायतों को ₹ 2.45 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। किन्तु प्रभाग द्वारा वन पंचायत को उपलब्ध कराई गयी धनराशि ₹ 2.45 लाख के प्रमाण पत्र वन पंचायत से प्राप्त नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि वन पंचायतों को अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा रहे है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जाएंगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-10 अतिक्रमित भूमि 5.6801 हेक्टेयर को विभाग के कब्जे में न लिया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के अतिक्रमण से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रभाग में अतिक्रमण के कुल मामले 35 है जो कि वर्ष 1910 से पूर्व से लेकर वर्ष 1987-88 के मध्य के हैं। प्रभाग के अन्तर्गत 5.6801 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमित है।

इस प्रकार कुल 35 मामले तथा 5.6801 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि विभागीय शिथिलता के कारण विभागीय कब्जे में आने से वंचित रही गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि अतिक्रमित भूमि को विभागीय कब्जा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे है। प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा अतिक्रमित भूमि को विभागीय कब्जा में लाने के लिए क्या क्या प्रयास किये गए, इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -2 अ</u>

प्रस्तर-1 लीसा के विक्रय पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क न वसूल किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹10.59 लाख।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक-खा के क्रमांक 18 में यह प्रावधान किया गया है कि उस प्रत्येक सम्पत्ति के लिए जो अलग लाट में नीलामी पर चढाई और बेची गयी हो जो किसी न्यायालय, या अधिकारी या संस्था द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ऐसी सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी से बेचने का अधिकार प्राप्त हो, सार्वजनिक नीलामी से बेची गयी सम्पत्ति के क्रेता को दिया जाये तो केवल क्रयधन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तांतरण पर क्रमांक 23 खंड (क) के समान शुल्क देय है। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क की दर 5% है। इस पर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन फीस भी देय है। जिससे स्पष्ट है कि नीलामी के माध्यम से बिक्री की गयी संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल पर स्टाम्प की देयता 5% की दर से निर्धारित की गयी है। जिन प्रकरणो में संपत्ति को नीलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाता है उनमे स्थाई संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क की देयता 23 क के अनुसार 5% की दर से तथा अस्थाई संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क की देयता 23 ख के अनुसार 2% की दर से निर्धारित की गयी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के लीसा डिपो से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में नीलामी के माध्यम से कुल 5742.01 कुंतल लीसा की बिक्री विभिन्न दरों पर कुल ₹3,50,28,501/- की करना दर्शाया गया था, जिस पर 2% की दर से ₹7,00,569/- स्टाम्प शुल्क वसूल करना दर्शाया गया था। जबकि अलग-अलग लाटों में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचे गए लीसे पर स्टाम्प शुल्क की देयता 5% की दर से निर्धारित की गयी है। अतः ₹3,50,29,000/= (₹3,50,28,501/- 1000 में पूर्णांकित) की लीसा की बिक्री पर (**विवरण संलग्न**) अंतरीय दर 3% (5-2) से स्टाम्प शुल्क ₹10,50,869/- देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इस वन प्रभाग से उत्पादित लीसा के नीलामी की कार्यवाही नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती द्वारा की जाती है। इस संबंध में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग से पत्राचार कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

<u>राजस्व/व्यय से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
19/2003-04	-	04	-
33/2004-05	-	01,02,03,04	-
56/2005-06	01,02	01,02,03	-
05/2007-08	01,02	01	-
16/2011-12	-	01,02	-
78/2013-14	-	01,	-
188/2015-16	-	01	-
77/2017-18	01,02	01,02,03,04,05,06	-
95/2018-19	01,02	01	-
24/2019-20	01	01,02,03,04,05,06	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री लक्ष्मण सिंह रावत	प्रभागीय वनाधिकारी
2.	श्री सन्तराम	प्रभागीय वनाधिकारी
3.	श्री आकाश कुमार वर्मा	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV